न्यूज़ टुडे

प्रधान मंत्री ने मैकाले की विरासत में निहित औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने के लिए 10-वर्षीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा का आग्रह किया

प्रधान मंत्री ने इस तथ्य को उजागर किया कि औपनिवेशिक मानसिकता तब गहन होने लगी, जब **1835 ई. में ब्रिटिश सांसद थॉमस बैबिंगटन मैकाले** ने भारत के सांस्कृतिक आधार को खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया।

- **1835 ई. में शिक्षा पर मैकाले मिनट** जारी किया गया था। इस मिनट में भारत में **संस्कृत, हिंदी, अरबी** आदि प्राच्य भाषाओं में शिक्षा को निरर्थक घोषित करते हुए **अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा** देने पर बल दिया गया था।
- ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के संदर्भ में, **महात्मा गांधी** ने टिप्पणी की थी कि **"भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली एक सुंदर वृक्ष थी, जिसे उखाड़कर नष्ट कर दिया गया।"**

भारत में औपनिवेशिक मानसिकता: मुख्य तत्व

- **भाषा:** अदालतों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा का उपयोग आकांक्षी माना जाता है। इससे कभी-कभी गैर-अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है।
- **संस्कृति:** औपनिवेशिक शासन ने पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों को थोपा है, जिसमें पश्चिमी वेशभूषा, भोजन, कला के रूप, तौर-तरीके और मूल्य शामिल हैं। ये तत्व भारतीय ज्ञान प्रणालियों को हीन बताते हैं।
- **कानून और संस्थाएं:** IPC (भारतीय दंड संहिता), वन कानून, राजद्रोह जैसे कई औपनिवेशिक कानून और आपराधिक प्रक्रियाएं सेवा की बजाय नियंत्रण स्थापित करने पर केंद्रित हैं।
- **आर्थिक प्रणाली:** आयातित आर्थिक मॉडल्स और निजी पूंजी पर जोर देने से बड़ी संख्या में आबादी की निर्धनता में वृद्धि हुई है।
- **ज्ञान प्रणालियां:** अनुसंधान और नवाचार के आयातित मॉडल्स पर अधिक जोर देने के कारण देशज ज्ञान प्रणालियां भुला दी गई हैं।

संज्ञानात्मक विऔपनिवेशीकरण (Cognitive Decolonisation): आगे की राह

- **नीतिगत उपाय:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, देशज ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और औपनिवेशिक युग के कानूनों में सुधार करना चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए:** औपनिवेशिक शासन के प्रतीक राजपथ का नाम बदलकर **कर्तव्य पथ** करना, जो अधिकार की बजाय कर्तव्य पर जोर देता है।
- **सांस्कृतिक पुनरुद्धार:** स्वदेशी त्योहारों और शिल्पों का पुनरोत्थान गर्व में वृद्धि करता है।
  - **उदाहरण के लिए:** अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
  - **उदाहरण के लिए:** नए संसद भवन में **सेंगोल** भारत की लोकतांत्रिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है।
- **व्यवहारिक परिवर्तन:** आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो नवाचार, स्थानीय शासन और सार्वजनिक जीवन में भारतीय विचारों को अपनाने पर बल देता है।
  - **उदाहरण के लिए:** मिशन LIFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवनशैली)।

दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों को अयोग्य ठहराने में देरी के लिए उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को आगाह किया

'पदी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य' मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत **अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के रूप में कार्य करते समय विधानसभा अध्यक्ष को संवैधानिक उन्मुक्ति प्राप्त नहीं** है।

दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के बारे में

- संविधान में यह अनुसूची **1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा** जोड़ी गई थी। यह अनुसूची उन **आधारों और प्रक्रियाओं को निर्धारित** करती है जिनके तहत सांसदों और विधायकों को उनकी सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। **निम्नलिखित आधारों पर सदस्यता समाप्त हो सकती है:**
  - यदि कोई सदस्य **स्वेच्छा से अपनी मूल राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है,**
  - यदि कोई सदस्य सदन में अपने **राजनीतिक दल के निर्देशों (व्हिप) के खिलाफ जाकर मतदान** करता है,
  - **मनोनीत** (नॉमिनेटेड) सदस्यों के मामले में, यदि वह सदस्य बनने के बाद **संसद/विधानमंडल की पहली बैठक के छह महीने पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल** हो जाता है,
  - **निर्दलीय सदस्य** के मामले में यदि वह **निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।**
- **किन पर लागू नहीं होगी:** यदि किसी राजनीतिक दल के **कम से कम दो-तिहाई निर्वाचित सदस्य** विलय के पक्ष में हों, तो वह दल किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय कर सकता है।
- **महत्व:**
  - यह अनुसूची **धन और बल के प्रभाव में राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश** लगाती है।
  - यह अनुसूची **'आया राम गया राम' प्रवृत्ति** को हतोत्साहित करके निर्वाचित सरकार की स्थिरता को बढ़ावा देती है। गौरतलब है कि **दल-बदल (floor-crossing) प्रवृत्ति** मतदाता के जनादेश को कमजोर करती है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है।

लोक सभा-अध्यक्ष/ विधान सभा-अध्यक्ष की भूमिका

- सदस्य की अयोग्यता वाली याचिकाओं पर **संबंधित सदन के अध्यक्ष/सभापति या पीठासीन अधिकारी द्वारा** निर्णय लिया जाता है।
- हालांकि, **अध्यक्ष या सभापति अक्सर सत्तारूढ़ दल** के होते हैं। इसलिए उन पर अपने दल के हित को ध्यान में रखते हुए **याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं।**

दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित अन्य प्रमुख निर्णय

- **सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग (1971) वाद:** उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए **तीन-परीक्षण सूत्र** निर्धारित किया कि किस गुट को निर्वाचन आयोग द्वारा **मूल राजनीतिक दल के रूप में मान्यता** दी जानी चाहिए। **ये तीन-परीक्षण सूत्र हैं:**
  - संबंधित राजनीतिक दल के उद्देश्य,
  - संबंधित राजनीतिक दल का संविधान, और
  - संबंधित राजनीतिक दल के विधायी सदस्यों व संगठन के सदस्यों का बहुमत।
- **राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (2007) वाद:** संबंधित सदन का अध्यक्ष/सभापति सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय को अनिश्चितकाल तक स्थगित नहीं कर सकता।
- **कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम विधान-सभा अध्यक्ष, मणिपुर (2020) वाद:** संबंधित सदन का अध्यक्ष/सभापति को असाधारण मामलों को छोड़कर, आदर्श रूप से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

- **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1992) मामले** में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सदन का अध्यक्ष/सभापति अधिकरण के रूप में कार्य करता है और इसलिए **उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।**

उच्चतम न्यायालय ने देश में टाइगर रिज़र्व्स की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए

ये निर्देश **बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्षों से निपटने** के लिए जारी किए गए हैं। **पर्यावास क्षरण, अनियंत्रित पर्यटन, और बाघ गलियारों के विखंडन** के कारण इन संघर्षों में वृद्धि हो रही है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर एक नजर

- **टाइगर सफारी पर प्रतिबंध:** सफारी केवल **बफर क्षेत्रों में गैर-वन या निम्नीकृत वन भूमि** पर ही अनुमत होगी।
  - **कोर क्षेत्रों या निर्दिष्ट बाघ गलियारों** में कोई सफारी नहीं होगी।
  - **रात्रिकालीन पर्यटन:** यह कोर/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों में **प्रतिबंधित** होगा।
- **निषिद्ध गतिविधियां:** बफर/ सीमावर्ती क्षेत्रों में **निम्नलिखित गतिविधियां वर्जित होंगी-**
  - वाणिज्यिक खनन; प्रदूषणकारी उद्योग; प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं; विदेशी प्रजातियों का प्रवेश; कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान; व्यावसायिक रूप से जलाऊ लकड़ी काटना आदि।
- **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZs):** सभी टाइगर रिज़र्व्स में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के 2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ESZs अधिसूचित करने होंगे।
  - ध्यातव्य है कि राज्य सरकारों के आग्रह पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ESZs अधिसूचित किए जाते हैं।
- **बाघ संरक्षण योजनाएं (TCPs): राज्यों** को निर्धारित समय-सीमा के भीतर TCPs तैयार/ संशोधित करनी होंगी।
  - कोर और बफर क्षेत्रों को **छह महीनों के भीतर अधिसूचित** करना होगा।

टाइगर रिज़र्व के बारे में

- **परिभाषा:** यह बाघों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए **प्रोजेक्ट टाइगर (1973)** के तहत कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:
  - **कोर क्षेत्र (महत्वपूर्ण पर्यावास):** अनतिक्रम्य (Inviolable); कोई पर्यटन या वाणिज्यिक गतिविधि नहीं।
  - **बफर क्षेत्र (सतत उपयोग क्षेत्र):** विनियमित पर्यावरणीय विकास; सीमित पर्यटन आदि।
- **घोषणा करने वाला प्राधिकरण:** NTCA टाइगर रिज़र्व्स को अनुमोदित और अधिसूचित करता है तथा राज्य इसके समक्ष स्थलों का प्रस्ताव करते हैं।
  - NTCA **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत एक **वैधानिक** निकाय है।
- **कुल रिज़र्व्स:** भारत में **58 बाघ रिज़र्व्स** हैं।

- **प्राकृतिक आपदा का दर्जा:** राज्य **मानव-वन्यजीव संघर्षों को प्राकृतिक आपदा** के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे। इससे त्वरित राहत सुनिश्चित की जा सकेगी।
  - **क्षतिपूर्ति:** मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को **₹10 लाख** की एकसमान अनुग्रह राशि (ex-gratia) प्रदान की जाएगी।
  - **मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन दिशा-निर्देशों का मसौदा:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) **छह महीनों के भीतर** यह मसौदा तैयार करेगा और इसे सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

'भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (IAFS)' का पिछले दस वर्षों से आयोजन नहीं हुआ है

लंबे समय तक 'भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (IAFS)' आयोजित न होना **भारत-अफ्रीका संबंधों में अवसरों और चुनौतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता** रेखांकित करती है।

- इससे पहले **IAFS के तीन सम्मेलन 2008, 2011 और 2015 में** आयोजित हुए थे। इन सम्मेलनों में विकास में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी।

भारत-अफ्रीका संबंधों में अवसर

- **व्यापार:** 'अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA)' एकल बाजार का निर्माण करता है। यह भारतीय निवेशकों को अफ्रीका के विशाल बाजार में व्यापक अवसर प्रदान करता है।
  - ध्यातव्य है कि भारत, **अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है। अफ्रीका के दो सबसे बड़े व्यापार साझेदार **यूरोपीय संघ और चीन** हैं। भारत और अफ्रीका का **द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर से अधिक का है।**
- **अफ्रीका के नेतृत्व में विकास:** पिछले एक दशक में अफ्रीका **विश्व के सबसे तीव्र आर्थिक संवृद्धि वाले क्षेत्रों में से एक** रहा है। इस संवृद्धि की वजह से अफ्रीका में **उपभोक्ता बाजार का विस्तार** हुआ है, **युवा कार्यबल बढ़ा** है, और विशाल बाज़ार अवसरों को भी बढ़ा रहा है।
- **सॉफ्ट डिप्लोमेसी:** शिक्षा और स्वास्थ्य-देखभाल सेवा में द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से **अफ्रीका में मानव संसाधन विकास में मदद** मिली है।
  - उदाहरण के लिए-अफ्रीका में **आईआईटी कैंपस** की स्थापना की गई है, **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC)** कार्यक्रम, **पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क** संचालित किए जा रहे हैं।

कंपाला सिद्धांत (अफ्रीका के साथ भारत की सहभागिता के लिए 10 मार्गदर्शक सिद्धांत)

अफ्रीका के साथ भारतीय सहभागिता को मजबूत करना और विस्तार देना	स्थानीय स्तर पर क्षमताओं और अवसरों का निर्माण करना
अफ्रीका के विशाल बाजार में अधिक पहुंच सुनिश्चित करना और अधिक निवेश को बढ़ावा देना	अफ्रीका के विकास में सहायता हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना
कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना	जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना
आतंकवाद से निपटने में संयुक्त रूप से कार्य करना तथा शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना	सभी के लिए 'स्वतंत्र और खुले महासागर' सुनिश्चित करना
अफ्रीकी युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति को प्रोत्साहित करने हेतु सहयोग करना	न्यायपूर्ण, प्रतिनिधि-आधारित और लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग करना

- **वैश्विक संस्थाओं में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व बढ़ाने का समर्थन:** भारत वैश्विक संस्थाओं में अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व देने या बढ़ाने का समर्थन करता रहा है। यह कदम वैश्विक **दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation)** में भारत के नेतृत्व को मजबूत करता है।
  - उदाहरण के लिए: **G-20 में अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलाने में भारत की बड़ी भूमिका** रही है।
- **प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग:** भारत **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** ((DPI) जैसी पहलों के माध्यम से अफ्रीका को **डिजिटल अवसंरचना के विकास में मदद** कर सकता है।

भारत-अफ्रीका संबंधों में चुनौतियां

- **प्रतिस्पर्धा और ऋण-जाल:** भारत को अफ्रीका में **चीन के बढ़ते निवेश से प्रतिस्पर्धा** का सामना करना पड़ रहा है। चीन का निवेश अफ्रीकी देशों को **ऋण-जाल में फंसा** सकता है।
- **परियोजनाओं को पूरा करने में देरी:** भारत की परियोजनाओं को **नौकरशाही-संबंधी बाधाओं, तथा भूमि-अधिग्रहण, वित्तपोषण जैसी कुछ अन्य समस्याओं का सामना** करना पड़ रहा है। इससे परियोजनाओं की पूरी क्षमता के उपयोग में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **भू-राजनीतिक चुनौतियां:** कई अफ्रीकी देशों में **राजनीतिक अस्थिरता (सैन्य तख्तापलट की बढ़ती घटनाएं)** जारी हैं। साथ ही, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में व्यापारिक जहाजों को **समुद्री डकैती (पायरेसी) और समुद्री-आतंकवाद** का सामना करना पड़ता है।
  - उपर्युक्त वजहों से अफ्रीका में भारतीय **निवेश सुरक्षित होने और दीर्घकाल में परियोजना के लाभकारी होने पर संदेह बना रहता है।**

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने वैज्ञानिक नदी प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की कार्यकारी समिति ने **अनुसंधान आधारित नदी कायाकल्प (rejuvenation)** पर जोर दिया। साथ ही, गंगा बेसिन में वैज्ञानिक समझ और डेटा-संचालित नियोजन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रमुख शोध परियोजनाओं को अनुमति दी।

अनुमोदित वैज्ञानिक नदी प्रबंधन परियोजनाएं निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करती हैं-

- प्रमुख हिमालयी गंगा हेडस्ट्रीम ग्लेशियरों की निगरानी;
- गंगा के लिए डिजिटल ट्विन का विकास;
- उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले सोनार (SONAR) आधारित नदी तक सर्वेक्षण;
- प्राचीन जलमार्गों (paleochannels) के माध्यम से प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण; तथा
- एक ऐतिहासिक भू-स्थानिक नदी डेटाबेस का निर्माण।

नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) के बारे में

RBM उन सभी **प्राकृतिक एवं कृत्रिम संरचनाओं और प्रक्रियाओं** के प्रबंधन को संदर्भित करता है जो **नदी बेसिन के सभी जल संसाधनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े** हुए हैं।

इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

- **संस्थागत व्यवस्था:** आवश्यक प्रशासनिक निकायों का निर्माण, जैसे कि राष्ट्रीय गंगा परिषद, NMCG, राज्य गंगा समितियां आदि।
- **सूचना प्रणाली:** ऐतिहासिक मानचित्रों, नदी तल (riverbed) के उच्च-रिज़ॉल्यूशन सर्वेक्षणों, रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा आदि का उपयोग करके एक भू-स्थानिक नदी डेटाबेस का निर्माण करना।
  - **उदाहरण:** NMCG ने गंगा नदी के लिए एक भू-स्थानिक नदी डेटाबेस के निर्माण को मंजूरी दी है।
- **बेसिन-व्यापी नीतियां:** संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करना, भविष्य की जल आपूर्ति और मांग का आकलन करना, तथा उपयुक्त जल संरक्षण एवं पुनर्भरण उपाय लागू करना।
- **हितधारक:** सभी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हितधारकों को सक्रिय करना, जिनमें राष्ट्रीय एजेंसियां व स्थानीय सरकारें, नागरिक समाज संगठन और शेष निजी क्षेत्र शामिल होता है।
- **प्रदर्शन संकेतक:** जल गुणवत्ता, प्रदूषण के स्तर, पारिस्थितिक खतरों के मानचित्रण, वित्तीय स्थिरता, संस्थागत क्षमता आदि का विश्लेषण करने के लिए निगरानी नेटवर्क स्थापित करना।
  - **उदाहरण:** गंगा बेसिन के लिए **डिजिटल ट्विन मॉडल** वास्तविक समय में नदी प्रबंधन का मॉडल तैयार करेगा।

जल और नदी बेसिन प्रबंधन – महत्वपूर्ण कार्य

जल बजट
स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर का जल बजट आगत (incoming) एवं निर्गत (outgoing) जल, उसके विभिन्न उपयोगों, और अन्य आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए।

सीमा का निर्धारण
वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक सीमा निर्धारित करना।

कारकों की पहचान और उनके प्रभावों का समन्वय
मानव उपयोग, जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग व भूमि आवरण (LULC) परिवर्तन जैसे मानव जनित और प्राकृतिक बदलावों के संभावित प्रभावों का समन्वय करना।

सभी दृष्टिकोणों से खतरों की पहचान और उनका समाधान
प्राथमिकता के आधार पर संकटग्रस्त जल संसाधनों की पहचान करना और आवश्यक कदम उठाना।

स्थानीय और क्षेत्रीय जल संसाधनों की पहचान
सभी स्थानीय और क्षेत्रीय जलाशयों की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी संकलित करना।

सभी हितधारकों की भागीदारी
जल की मात्रा, गुणवत्ता और जलीय जीवों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान करना।

अन्य सुर्ख़ियां

द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG)

भारत ने **संयुक्त राज्य अमेरिका** के साथ अपना **पहला संरचित LPG आपूर्ति समझौता** किया। इसके तहत भारत **वर्ष 2026 के लिए 2.2 MTPA LPG आयात** करेगा। यह **भारत की कुल मांग का लगभग 10%** है।

LPG के बारे में मुख्य तथ्य

- **संरचना:** इसमें **50-60% प्रोपेन और 40-50% ब्यूटेन** होती हैं, जो मौसम व आपूर्ति के अनुसार बदलती रहती हैं।
- **उत्पादन और आयात:**
  - घरेलू उत्पादन लगभग 12.8 MT है (35%)।
  - आयात 21 MT से अधिक है (65%)।
- **आयात स्रोत:** कतर सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद **संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत और सऊदी अरब** का स्थान है।
- **मांग:** भारत की LPG मांग का **90%** से अधिक हिस्सा **घरेलू उपभोक्ता** उपयोग करते हैं।

अजेय वारियर

भारत-यूनाइटेड किंगडम संयुक्त सैन्य अभ्यास "अजेय वारियर-25" का **8वां संस्करण राजस्थान** में शुरू हुआ।

- यह अभ्यास **2011 से भारतीय थल सेना और ब्रिटिश थल सेना** के बीच **प्रत्येक दो वर्षों** में आयोजित किया जाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र** के अधिदेश (mandate) के तहत आयोजित यह अभ्यास **अर्ध-शहरी परिवेश में आतंकवाद-रोधी अभियानों** पर केंद्रित है।

प्रिसीज़न बायोथेरेप्यूटिक्स (Precision Biotherapeutics)

प्रिसीज़न बायोथेराप्यूटिक्स (सटीक जैवीय चिकित्सा) वैयक्तिकृत (personalized) चिकित्सा के अगले मोर्चे के रूप में उभर रही है।

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने **प्रिसीज़न बायोथेराप्यूटिक्स को BioE³ नीति** के तहत 6 फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है।

प्रिसीज़न बायोथेराप्यूटिक्स के बारे में

- **परिभाषा:** प्रिसीज़न बायोथेराप्यूटिक्स जैविक अभिकारकों (जैविक प्रणालियों से प्राप्त प्रोटीन, कोशिकाएं, या जीन थेरेपी) का लक्षित उपयोग है, जिसे किसी व्यक्ति के **आनुवंशिक प्रोफाइल, परिवेश और जीवन शैली** के अनुरूप बनाया जाता है।
- **प्रौद्योगिकियां:** इसमें **जीन एडिटिंग, mRNA प्लेटफॉर्म, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी** और **वैयक्तिकृत कोशिका आधारित थेरेपी** शामिल हैं।
- **लाभ:** यह विशेष रूप से **दुर्लभ आनुवंशिक विकारों और ऑटोइम्यून रोगों** में लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से **प्रभावकारिता में सुधार** करता है और **प्रतिकूल प्रभावों को कम** करता है।

संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि

डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं के कारण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को **संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध अभिसमय या संधि की अभिपुष्टि** करने पर निर्णय लेने के लिए कहा।

संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि के बारे में

- **अवलोकन:** यह सभी गंभीर अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संग्रह, साझाकरण और उपयोग हेतु **पहला सार्वभौमिक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा** है।
- **अपराधीकरण:** यह **साइबर-निर्भर दुष्कृत्यों** को अपराध घोषित करता है। साथ ही, **ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन बाल यौन शोषण, और अंतरंग छवियों के गैर-सहमति से प्रसार जैसे अपराधों** से संबंधित है।
- **अंगीकरण:** इस अभिसमय को **24 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने अपनाया था।
- **सचिवालय:** संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC)।

तेंदुआ

बढ़ते **मानव-तेंदुआ संघर्ष** से निपटने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने **महाराष्ट्र के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम** को मंजूरी प्रदान की। यह **भारत में इस तरह का पहला** कार्यक्रम है।

तेंदुए के बारे में (पैंथेरा पार्डस)

- **पर्यावास:** भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से, जिनमें **मैंग्रोव वन व रेगिस्तान शामिल नहीं हैं**।
- **आकार:** यह **बड़ी बिल्लियों (पेंथेरा वर्ग) में सबसे छोटा** होता है।
- **शिकार:** यह शाकाहारी जानवरों की छोटी प्रजातियों का शिकार करता है, जैसे कि **चीतल, हॉग डियर, जंगली सूअर** आदि।
- **विशेषता:** यह **निशाचर** होता है और अपना अधिकांश आराम का समय **पेड़ों के ऊपर** व्यतीत करता है। यह जमीन का उपयोग केवल स्थान बदलने के लिए करता है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **IUCN रेड लिस्ट:** नियर थ्रेटंड।
  - **CITES:** परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध।
  - **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-1 में सूचीबद्ध।

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद (ESSC)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने अपने स्वायत्त संस्थानों में शासन को एकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए **पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद** (ESSC) का गठन किया।

ESSC के बारे में

- **उद्देश्य:** यह शासन और सहयोग में सुधार के लिए **MoES के 5 स्वायत्त संस्थानों** को एक समन्वित ढांचे के तहत एकीकृत करता है।
- **प्रशासन:** इसकी अध्यक्षता **केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री** करेंगे। इसका प्रयोजन **प्रशासनिक कार्यों के दोहराव को समाप्त करना और "समग्र-सरकार दृष्टिकोण" (whole-of-government approach) को बढ़ावा** देना है।
- **संरचना:** सभी पांचों संस्थान अपने अधिदेशों के पालन को बरकरार रखेंगे, लेकिन सामान्य समितियों, एक एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट और साझा प्रशासनिक निरीक्षण का पालन करेंगे।
- **महत्त्व:** यह जलवायु संबंधी सेवाओं, आपदा संबंधी तैयारियों, और महासागरीय एवं वायुमंडलीय अनुसंधान को मजबूत करेगी, तथा सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देगी।

आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offering: IPO)

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने **आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव** (IPO) के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार, IPO का उपयोग **दीर्घकालिक पूंजी जुटाने** के साधन की बजाय **शुरुआती चरण के निवेशकों के लिए निकास मार्ग** (exit route) के रूप में अधिक हो रहा है।

आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के बारे में

- **परिभाषा:** एक IPO **प्राथमिक बाजार में निजी कंपनियों की प्रतिभूतियों को पहली बार जनता को बेचना** होता है।
- **परिवर्तन:** IPO एक निजी तौर पर संचालित कंपनी को **सार्वजनिक कंपनी** में बदल देता है।
- **पूंजी का स्रोत:** यह कंपनी के लिए **दीर्घ या अनिश्चितकालीन परिपक्वता वाली पूंजी** का सबसे बड़ा स्रोत है।
- **IPOs के प्रकार:**
  - **फिक्स्ड प्राइस इश्यू:** इसमें प्रतिभूतियों का मूल्य पहले से निश्चित होता है।
  - **बुक बिल्डिंग इश्यू:** इसमें कोई निश्चित मूल्य नहीं होता, बल्कि एक प्राइस बैंड निर्धारित किया जाता है।

16वां वित्त आयोग

16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट **भारत के राष्ट्रपति** को सौंप दी है, जो **2026-31** की अवधि के लिए लागू होगी।

16वें वित्त आयोग के बारे में

- **गठन:** इसका गठन संविधान के **अनुच्छेद 280(1)** के तहत **राष्ट्रपति** द्वारा किया गया है।
- **अध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया** (नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष)।
- **विचारार्थ विषय (Terms of Reference):**
  - **करों के शुद्ध आगमों (आय) का संघ (केंद्र) और राज्यों के बीच वितरण** तथा राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
  - संविधान के **अनुच्छेद 275** के तहत **सहायता अनुदान** और राज्य के राजस्व को शासित करने वाले सिद्धांत।
  - संबंधित राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए **किसी राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund) को बढ़ाने** हेतु आवश्यक उपाय।

सेंटिनल-6बी

सेंटिनल-6बी उपग्रह को **कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग स्पेस फ़ोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट** द्वारा प्रक्षेपित किया गया।

सेंटिनल-6बी उपग्रह के बारे में

- **संयुक्त मिशन:** यह संयुक्त राज्य अमेरिका की **नासा (NASA) व राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी** का एक संयुक्त मिशन है।
- **उद्देश्य:** यह एक **महासागर-ट्रैकिंग उपग्रह** है। इसमें **6 वैज्ञानिक उपकरण** लगे हैं। ये उपकरण **समुद्र के बढ़ते जलस्तर और पृथ्वी पर इसके प्रभावों का मापन** करेंगे।
- **अपेक्षित लाभ:**
  - वैज्ञानिकों को **समुद्र-जलस्तर की वृद्धि** को समझने में मदद मिलेगी। यह जलवायु नीति को आकार देने और तटीय जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सिद्ध होगी।
  - तूफान और बाढ़ की भविष्यवाणियों सहित **मौसम के पूर्वानुमानों की सटीकता** में सुधार होगा।

लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT)

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने **ब्राजील के बेलेम में हो रहे COP- 30 में LeadIT उद्योग के नेताओं के गोलमेज सम्मेलन** को संबोधित किया।

लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT) के बारे में

- **शुरुआत:** LeadIT के प्रथम चरण की शुरुआत **2019 में भारत और स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन** में की थी। यह **विश्व आर्थिक मंच** (WEF) द्वारा समर्थित है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **2050 तक भारी उद्योगों से नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य** को हासिल करना है। इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करने वाली यह **पहली वैश्विक उच्च-स्तरीय** पहल थी।
- **कार्य:** LeadIT सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर, संसाधनों को जुटाकर और ज्ञान साझाकरण का समर्थन करके **न्यायसंगत एवं समान उद्योग संक्रमण** को प्रेरित करता है।
- **LeadIT 2.0 (2024-2026):** इसे CoP28 में वार्षिक LeadIT शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था।
- **सदस्य:** इसमें **18 सदस्य देश और 27 कंपनियां** शामिल हैं।